सोशल आडिट निदेशालय

ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0

7वाँ तल, पी.सी.एफ. भवन, 32, स्टेशन रोड, लखनऊ–226001

Phone No.: 0522-2630878, Fax: 0522-4003787, E-mail: socialauditup@yahoo.in, Website: socialauditup.in

पत्रांकः 327 / सो.आ.नि.–312 / 2014
दिनाँकः 08 सितम्बर, 2014

मा0 उच्च न्यायालय वाद
समयबद्ध / प्राथमिकता

प्रेषक,

निदेशक,
सोशल आडिट,
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

विषयः DSAC/BSACs की तैनाती संबंधी सूचना उपलब्ध कराने विषयक।

महोदय,

मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद एवं खण्डपीठ, लखनऊ में कतिपय DSAC/BSACs ने बैचेज में शासनादेश संख्या 1496 / अड़तीस–7–2014–200नरेगा / 2009, दिनांक 21.07.2014 को निरस्त कराए जाने हेतु रिट याचिकाएँ योजित की हैं। उक्त शासनादेश दिनांक 21.07.2014 में DSAC/BSACs की सेवाएँ सेवा प्रदाता के माध्यम से आउटसोर्सिंग के आधार पर लिए जाने हेतु निर्णय लिया गया है।

2. रिट याचिकाओं में कतिपय DSAC/BSACs द्वारा उल्लेख किया गया है कि वे वर्ष 2009 से लगातार कार्यरत हैं। अतः मा0 उच्च न्यायालय के समक्ष सही वस्तुस्थिति प्रस्तुत करने हेतु अपने जनपद में कार्यरत DSAC/BSACs की प्रथम बार संविदा में तैनाती का पत्र / अनुबन्ध पत्र एवं संविदा अवधि विस्तारित किए जाने से संबंधित आदेश–पत्रों की प्रतियाँ ई–मेल के माध्यम से प्रेषित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(शंकर सिंह)
निदेशक।

पत्रांकः–327 / सो0आ0नि0–312 / 2014, तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः समस्त जिला विकास अधिकारी, उ0प्र0 को इस आशय से कि वे उक्त की प्रतियाँ दिनांक 12.09.2014 तक निदेशालय को प्रेषित करने का कष्ट करें।

(शंकर सिंह)
निदेशक।

Arun DT